भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1098

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

इंसुलेटेड कंडक्टरों के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए नीति

†1098. श्री एम.के. राघवन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिजली के झटके की घटनाओं और लाइन फॉल्ट को रोकने के लिए देश भर में इंसुलेटेड या कवर किए गए कंडक्टरों के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए कोई नीति तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इंसुलेटेड विद्युत लाइनों की स्थापना अथवा उन्नयन के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कोई धनराशि आवंटित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने देश में भूमिगत केबलिंग प्रणाली को पूर्णत: या आंशिक रूप से कार्यान्वित कर दिया है; और

(घ) क्या मंत्रालय देश में कम से कम शहरीकृत क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछाने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : चूँकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित कार्य राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार, सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरक सहायता प्रदान करती है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों

एवं विद्युत लाइनों के निर्माण हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2022 अधिसूचित किए हैं जो विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम, लाइन फॉल्ट में कमी तथा विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से, कुछ क्षेत्रों में इंसुलेटेड केबल, कवर्ड कंडक्टर, एरियल बंच्ड केबल (एबीसी) तथा भूमिगत केबलों के उपयोग को अनिवार्य करते हैं।

इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार:

- तटीय क्षेत्रों में भूमिगत केबलों का उपयोग किया जाएगा।

- घनी आबादी वाले, विद्युत चोरी एवं दुर्घटना-संभावित क्षेत्रों में एरियल बंच्ड केबल (एबीसी) अथवा इंसुलेटेड केबल अथवा कवर्ड कंडक्टर का उपयोग किया जाएगा।

- 33 केवी तथा उससे कम वोल्टेज की विद्युत लाइनें, जो संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के इको-सेंसिटिव ज़ोन एवं वन्यजीव गलियारों से होकर गुजरती हैं, उनके लिए केवल भूमिगत केबलों का उपयोग किया जाएगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वितरण यूटिलिटी वास्तविक फील्ड परिस्थितियों के आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी इंसुलेटेड या कवर्ड कंडक्टरों का उपयोग कर सकती हैं।

उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ, वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से सक्षम वितरण क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) आरंभ की। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण अवसंरचना के उन्नयन एवं प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत, यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर एरियल बंच्ड केबल (एबीसी)/कवर्ड कंडक्टर एवं भूमिगत केबल, उप-स्टेशनों एवं वितरण ट्रांसफॉर्मरों का उन्नयन/विस्तार, कंडक्टरों का उन्नयन आदि जैसे वितरण अवसंरचना संबंधी कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत ₹1.53 लाख करोड़ की वितरण अवसंरचना परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

****